स्वतन्त्रता
LIBERTY

स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द Liberty का हिन्दी रूपान्तरण है जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव या मुक्ति। यह इच्छानुसार कार्य करने की छूट है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्रता के अलग-अलग अर्थ लेता है। अधिकांश मनुष्य स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने से या बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी मर्जी के कार्य करने से लेते हैं। स्वतन्त्रता का अर्थ स्वतंत्र विचारक प्राचीन परंपराओं एवं बंधनों से मुक्त होने से लेते हैं, आध्यात्मिक विचारक सांसारिक मोह माया से मुक्त होने से लेते हैं और परतन्त्र देश के निवासी स्वतन्त्रता को स्वराज्य समझते हैं। परन्तु इन सभी में से कोई भी अर्थ पूर्ण नहीं है।

स्वतन्त्रता के दो विचारात्मक पक्ष हैं - एक बन्धनों का अभाव, दूसरा मुक्तियुक्त बंधनों का होना।

* स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष :-

इसके अंतर्गत ऐसी स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता है। व्यक्ति को मनमानी करने की छूट हो। समष्टिवादी विचारक, हॉब्स के अनुसार, स्वतन्त्रता का अभिप्राय निरोध व नियंत्रण का सर्वथा अभाव है। रूसो भी इसी अवधारणा से प्रेरित था। व्यक्तिवादी विचारक भी स्वतंत्रता के इसी स्वरूप का समर्थन करते हैं।

"जे एस मिल" नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते है परंतु उन्होंने राज्य के सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थापना की है। वे कहते हैं कि अन्तःकरण विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरो से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निबाध छोड़ देना चाहिए। इसी क्रम में "जे एस मिल" कहते है - राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों मे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नकारात्मक अवधारणा मानती है कि —

1) प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है,
2) राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है
3) कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी है
4) मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत ठिक है।
5) सरकार द्वारा समर्पित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है।

सीले के अनुसार, "स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है"

मैकेंजी के अनुसार "स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है।"

* स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष :—

मनुष्य अपने लिए उन परिस्थितियों का निर्माण करे जो उसके विकास के साथ-साथ साथी नागरिकों के लिए भी ऐसी परिस्थितियाँ गढ़ सके। सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन रूसो काण्ट, हीगल ग्रीन लास्की इत्यादि के चिंतन में देखा सकते हैं। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि राज्य ऐसी दशा स्थापित करें जिससे व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के समुचित अवसर प्राप्त हो।

"काण्ट के अनुसार", "मनुष्य एक दुसरे को अच्छाई

तभी कर सकते हैं जब वह अज्ञानी न हो। और व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जब वह अपने आप को सार्वभौमिक बुद्धि के अधीन कर ले अर्थात व्यक्ति जब अपनी आत्मा पर नियंत्रण कर ले तथा दूसरों के प्रति अपना सहानुभूति भाव रखे तभी वह स्वतंत्र है।

"रूसो के अनुसार" सामान्य इच्छा से सही स्वतंत्रता की प्राप्ति संभव है। ग्रीन के अनुसार, मनुष्य की प्रकृति चेतना स्वतंत्रता की चाहत रखती है इसलिए आत्म चेतना के विकास के लिए स्वतंत्रता के लिए दशाओं की आवश्यकता होती है। दशाओं का अधिकार कहा जाता है तथा अधिकारों की प्रगति के लिए राज्य की स्थापना की जाती है।

"ग्रीन के अनुसार" "राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। बार्कर ने ग्रीन के चिन्तन का सार इन शब्दों में व्यक्त किया है कि राज्य का कर्म मनुष्य की प्रगति की राह में आई बाधाओं को बाधित करना है।